

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1— समस्त जिला मणिस्ट्रेट / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2— समस्त अध्यासी,
चीनी मिलों, उत्तर प्रदेश।

चीनी उदयोग अनुभाग-2लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2018

विषय:- ब्यायलरों की कार्यप्रणाली एवं संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत है कि एन.टी.पी.सी. के ऊँचाहार पावर प्लाण्ट में ब्यायलर फटने से जानमाल की अत्यधिक क्षति हुई है। इसको संज्ञान में लेते हुए पेराई सत्र के दौरान चीनी मिलों में स्थित ब्यायलरों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, जिससे चीनी मिलों में मानव सम्पदा को हानि न पहुँचे तथा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति चीनी मिलों में न हो। इस हेतु चीनी मिलों के संचालन के समय ब्यायलर आपरेशन के सम्बन्ध में निम्न प्रमुख बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है:-

- (1) ब्यायलर का संचालन सदैव क्वालीफाइड स्टाफ प्रथम व द्वितीय श्रेणी पास ब्यायलर आपरेटर्स तथा क्वालीफाइड ब्यायलर आपरेशन इन्जीनियर के द्वारा ही किया जाना चाहिए।
- (2) ब्यायलरों के कुशल संचालन हेतु मानकों के अनुसार ब्यायलर प्रेशर गेज सुपरहीटर तापमान, फीड वाटर तापमान, इकोनोमाईजर आऊटलेट पानी का तापमान, ब्यायलरों को मिलने वाली हवा का तापमान, फ्लू गैस आऊटलेट का तापमान, आई.डी., एफ.डी. एवं बैलेन्स ड्राफ्ट का रिकार्ड एवं सी.ओ.-2 एनालाइजर्स स्थापित होना चाहिए।
- (3) ब्यायलरों का संचालन समस्त मानकों के पैरामीटर के अनुरूप होना चाहिए।
- (4) ब्यायलर के अनुरूप वाटर साफ्टनिंग प्लाण्ट/डी.एम. प्लाण्ट पूर्ण क्षमता के होने चाहिए तथा इनकी सफाई व मरम्मत के उपरान्त रेजन आदि बदलकर ही प्रयोग में लेना चाहिए।
- (5) ब्यायलर फीड वाटर का तापमान हमेशा $97^{\circ}-98^{\circ}$ सेन्टीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए।
- (6) ब्यायलरों में प्रयोग होने वाले पानी की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रखी जाए तथा किसी भी दशा में रॉ, वाटर का प्रयोग न किया जाए। इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि ब्यायलर वाटर की गुणवत्ता शारीरिक रक्त की भौति शुद्ध होना चाहिए।
- (7) ब्यायलर पर स्थापित ऐश शूट की सफाई प्रत्येक शिफ्ट में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए, जिससे ऐश/विलंकर के अनावश्यक जमाव को रोका जा सके।
- (8) शूट ब्लोअर्स का संचालन नियमित रूप से प्रत्येक शिफ्ट में किया जाए जिससे ब्यायलर के अन्दर ट्यूबों के बाहरी हिस्से पर राख का जमाव न हो सके।

- (9) ब्यायलर ड्रम पर वाटर लेविल इन्डीकेटर पर बराबर ध्यान रखा जाए।
- (10) ब्यायलर पर आटो फीड वाटर कन्ट्रोल सिस्टम सुचारू रूप से कार्यरत रहना चाहिए, जिससे ब्यायलर ड्रम के अन्दर किसी भी दशा में पानी की कमी न हो सके।
- (11) ब्यायलरों पर लगे सभी इन्स्ट्रूमेन्ट्स सुचारू रूप से कार्यरत रहें जिससे ब्यायलर की प्रत्येक कार्यप्रणाली पर नजर रखी जा सके एवं इन्स्ट्रूमेन्ट्स की प्रत्येक रीडिंग का रिकार्ड रखा जाए।
- (12) ब्यायलर कमीशनिंग के समय हाई प्रेशर ब्यायलर्स में स्टीम ब्लोइंग का कार्य लगातार कराते रहना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की गैस का फारमेशन न हो सके।
- (13) हाई प्रेशर ब्यायलर्स में कभी भी स्लो बगास फायरिंग कम फर्नेस तापमान पर नहीं करना / कराना चाहिए अन्यथा अनबर्न्ट बगास के महीन कण हॉपर्स में एकत्रित हो जाएंगे जो ब्यायलर के लिए खतरनाक है।
- (14) हाई प्रेशर ब्यायलर्स में बगास ब्यायलर फर्नेस के अन्दर तभी लेना चाहिए जब फर्नेस का तापमान 180° सेन्टीग्रेड से अधिक हो जाए।
- (15) हाई प्रेशर ब्यायलर का प्रेशर नियन्त्रित करने हेतु बगास फायरिंग कभी भी घटाना नहीं चाहिए बल्कि प्रेशर नियन्त्रित करने हेतु स्टार्टअप वेन्ट खोलना चाहिए।
- (16) हाई प्रेशर ब्यायलर के संचालन के समय सभी ऐश हापर्स साफ होने चाहिए।
- (17) हाई प्रेशर ब्यायलर बन्द करने के उपरान्त हापर्स के मेनहोल खोल देना चाहिए एवं राख के जमाव को चेक करने के उपरान्त तुरन्त गिरा देना चाहिए।

3— अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों, सरकारी चीनी मिलों तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के ब्यायलर के आपरेशन हेतु उक्त सावधानियों के सम्बन्ध में अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें तथा अपने स्तर पर पर्यवेक्षण सुदृढ़ करते हुए ब्यायलर स्टेशन की कार्यप्रणाली की देख-रेख हेतु मुख्य अभियंता के अतिरिक्त एक अन्य अधिकारी को भी पृथक रूप से नामित करने का कष्ट करें, ताकि ब्यायलर आपरेशन में किसी भी प्रकार की शिथिलता से कोई दुर्घटना न हो एवं पेराई कार्य में ब्यवधान उत्पन्न न हो।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

संख्या—51 (1) / 46—2—2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2— गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, लखनऊ।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० लखनऊ।

भाज्ञा से,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।